सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

वैशाख 21, बुधवार, शाके 1944-मई 11, 2022
Vaisakha 21, Wednesday , Saka 1944- May 11, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन,

अधिसूचना

जयपुर, मई 11, 2022

संख्या एजेजेड/1120/**डेगाना/**22/ **:-**सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत डेगाना (जिला नागौर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है।

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	
	अंग्रेजी	हिन्दी
1-	CHAND ROON	चांदारूण
2-	GAURERI CHANCHA	गौरेडी चाचां
3-	GAURERI KARNA	गौरेडी करणा
4-	JHAGARWAS	झगड़वास
5-	LANGAUR	लंगौड़
6-	RAWALIYAWAS	रावलियावास
7-	REWANT-PART(500 Meters along NH 458)	रेंवत-पार्ट (एनएच 458 के सहारे 500 मीटर तक)
8-	TAMROLI (500 Meters along western side of NH 458 & complete area along eastern side)	तामड़ोली-पार्ट (एनएच 458 के सहारे पश्चिमी ओर 500 मीटर तक व पूर्वी ओर का सम्पूर्ण भाग)
9-	BAJIYASAR	बाजियासर
10-	DEVNAGAR	देवनगर

डेगाना मास्टर प्लान के इस प्रारूप के संबंध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथी से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि द्वारा नगर पालिका, डेगाना (जिला

नागौर) अथवा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर के कार्यालय में अपनी आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। उक्त मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी दिन कार्यालय समय में कार्यालय नगर पालिका, डेगाना में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका मय मानचित्र, नगर नियोजन विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है तथा कार्यालय नगर पालिका, डेगाना (जिला नागौर) से क्रय की जा सकती है।

भूपेन्द्र कुमार,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।